न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मुकेश कुमार कलाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
056/2015 (GCMS 2015/00057)	03.12.2015	23.10.2020

अनवान

कमलेश कंवर पत्नि अजयपाल सिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत सांखली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांखली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ।

विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र बाबत उक्त निर्णित पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने बाबत ::–

प्रकरण संख्या :– 024/2014
तारीख फैसल :– 21.01.2015

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 491 दिनांक 26.04.2008 को निरस्त कराने बाबत् ग्राम पंचायत सांखली एवं प्रार्थीया कमलेश कंवर पत्नि अजय पाल सिंह निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/2014 निगरानी पंचायत दर्ज कर दिनांक 21.01.2015 को प्रार्थीया कमलेश कंवर की अनुपस्थिति में एक तरफा में फैसल कर दिया गया इस कारण यह प्रार्थना पत्र उक्त पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में विपक्षी संख्या 02 इस प्रार्थना पत्र की प्रार्थीया कमलेश कंवर के लिए एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 26.11.2014 को पारित किया गया जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि विपक्षी संख्या 2 कमलेश कंवर बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है लेकिन वस्तुतः प्रार्थीया को माननीय न्यायालय के उक्त आदेश से किसी नोटिस की कोई प्रोपर तामील नहीं हुई थी। माननीय न्यायालय की पत्रावली में तामील पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अंकन किय ग्राम मान्यास में तामील करवाने गया तो कमलेश कंवर पत्नि अजयपालसिंह मकान पर नहीं मिले व खुला मकान पर एक तामील प्रति को चस्पा किया व दो मोतबिरान के हस्ताक्षर करवाये जबकि चस्पानगी की प्रक्रिया आदेश 5 नियम 17 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए जो नहीं हुई है। आदेश 5 नियम 17 जा0दी0 में यह प्रावधान है कि यदि कोई या उसका अभिकर्ता नोटिस लेने से इंकार करता है या प्रयास के बाजवूद भी नहीं मिलता है और पर्याप्त समय में उसके वापस आने की संभावना न हो तो चस्पानगी की जा सकती है। इस मामले में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है कि उचित समय में कमलेश कंवर के घर पर आने की कोई संभावना न हो ऐसी स्थिति में यह चस्पानगी से तामील आदेश 5 नियम 17 जा.दी. के सर्वथा विपरित होने से विधि अनुसार प्रोपर तामील नहीं मानी जा सकती, साथ ही तामील कुनिन्दा ने अपने चस्पानगी के अंकन पर कोई तारीख व समय भी उल्लेखित नहीं किया है कि किस तारीख व समय पर यह चस्पानगी की गई इस कारण भी चस्पानगी से तामील विधि विरूद्ध है और वस्तुतः प्रार्थीया कमलेश कंवर को माननीय न्यायालय की उक्त प्रकरण की कोई प्रोपर तामील नहीं हुई है और न ही कोई सूचना प्रार्थीया कमलेश कंवर को इस मामले की कार्यवाही के बारे में थी ही। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि खुले मकान पर चस्पानगी का कोई प्रावधान नहीं है यदि मकान खुला हुआ था तो अंदर कोई होना चाहिए तभी मकान खुला होता है यदि अंदर कोई था तो उस पर तामील होनी चाहिए और यदि अंदर कोई नहीं था तो मकान बंद होना चाहिए था उस पर चस्पानगी से तामील होनी चाहिए । इस प्रकार समूची तामील प्रार्थीया कमलेश कंवर की इस मामले में विधि अनुसार हुई ही नहीं है और उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जो प्राकृतिक सिद्धांत के विरूद्ध है और जो निर्णय दिनांक 21.01.2015 को पारित किया गया है वह बिना प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर दिये किया गया जो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरूद्ध है। इस मामले को पुनः रेस्टोर कर प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामले को निर्णित किया जाना न्याय हित में परमावश्यक है तदर्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 024/2014 निगरानी पंचायत में निर्णय दिनांक 21.01.2015 को होने की कोई जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी क्योंकि निर्णय में अंकित तथ्यानुसार भी प्रार्थीया कमलेश कंवर के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही में यह निर्णय दिया गया और जो एक तरफा कार्यवाही की गई है वह नोटिस की प्रोपर तामील न होने के बावजूद तामील मानकर की गई है जो विधि विरूद्ध है और न्याय हित में प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की सर्वप्राथम जानकारी दिनांक 16.10.2015 को हुई है जब पंचायत वालों ने प्रार्थीया को यह बताया कि उसका पट्टा खारीज हो गया। इस पर तत्काल उसी दिन चित्तौड़गढ़ आकर माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु आवेदन पेश किया जिस पर निर्णय की दिनांक 20.10.2015 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई और उसके पश्चात दिनांक 21.11.2011 एवं 22.11.2015 को दोनो दिन शनिवार व रविवार का अवकाश होने के कारण यह प्रार्थना पत्र अंदर अवधि 01 माह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जो विधि अनुसार है क्योंकि 20.10.2015 के पश्चात 20.11.2015 तक प्रार्थीया बीमार हो गई थी इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी काबिल कण्डोन है इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पृथक से मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर न्याय के व्यापक हित में माननीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 024/2014 निगरानी पंचायत फैसल दिनांक 21.01.2015 को पुनः रेस्टोर किया जाकर प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय प्रदान फरमाया जावें। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 24/2014 निगरानी पंचायत फैसल दिनांक 21.01.2015 को पुनः रेस्टोर किया जाकर प्रार्थीया कमलेश कंवर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय प्रदान फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 30.12.2015 को विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की और से उनके अधिवक्ता केलए सुखवाल हाजिर आये और अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षीगण को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान किये किन्तु विपक्षीगण की और से कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 13.07.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 23.10.2020 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। आवाज लगवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर नहीं आयें। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण विगत लम्बे समय दिनांक 31.08.2018 से ही वास्ते बहस नियत रहा है। एवं उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में बहस पत्रावली नहीं की गई है। इस कारण से पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित होने से पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश दिया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। आलौच्च निर्णय दिनांक 21.01.2015 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 (3) अनुसार " **राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो। उप धारा (1) के परन्तुक और उप धारा (2) में अंतर्विष्ट इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होगें।**" का प्रावधान किया गया है। हमने निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2015 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 21.01.2015 के पैरा संख्या 2 में प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 26.11. 2014 को एक तरफा अमल में लाई जाने का तथ्य अंकित किया गया है। निर्णय के पैरा संख्या 3 में पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट का तथ्य अंकित किया गया है। पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में पट्टों के संबंधित कोई रेकार्ड का संधारण नहीं कर पट्टा नियमों के विपरित जारी किया जाना पाया गया है। साथ ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत यदि कोई भी भूमि का पट्टा अथवा विक्रय कर हस्तान्तरित/आवंटित करती है तो विधिनुसार इसका नियमानुसार मौका निरीक्षण, आपत्ति पत्र जारी किये जाकर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो नहीं किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। निर्णय दिनांक 21.01.2015 के पैरा संख्या 5 में अंकित किया गया है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/ 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा निगरानी स्थानीय निधि अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2008–11 एवं पंचायत प्रसार अधिकारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत सांखली से विवादित पट्टो से संबंधित अभिलेख पट्टा बुक, केश बुक, कार्यवाही विवरण रजिस्टर व पत्रावलियां तलब की गई। ग्राम पचांयत सांखली द्वारा पट्टा बुक वर्ष 2008 –09, रसीद बुक,केश बुक वर्ष 2008–09 प्रस्तुत की गई है किन्तु कार्यवाही विवरण रजिस्टर व पट्टा आवेदन पत्रावलियां रेकार्ड में उपलब्ध नही होने के कारण पेश नही की गई है। प्राप्त अभिलेख, ऑडिट रिपोर्ट एवं पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति राशमी की जॉच रिपोर्ट के अनुसार निम्नांकित तथ्यात्मक स्थिति प्रकट होती है :–

1. विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। नियम 158 के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा., ओ.बी.सी., गांव के हस्तशिल्पी बी.पी.एल., निःशक्तजन, घुमन्तु जाति, गाडिया लुहार, भूमिहीन श्रमिक के ऐसे सदस्य ही आवंटन के पात्र है जिनके पास स्वयं के गृहस्थल, निवास नही है। प्रकरण में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा ऐसी कोई जॉच किया जाना स्पष्ट नही है जिससे यह निर्धारित हुआ हो कि आवंटनधारी के पास स्वयं के गृहस्थल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही है या वे बेघर है। इस प्रकार आवंटियो की पात्रता का समुचित परीक्षण नही किया गया है।

2. नियम 161(2) के प्रावधानों के अनुसार अन्य जिला सडको व ग्रामीण सडको की मध्य रेखा से 50 फीट तक ग्राम पंचायत न तो भूखण्ड आवंटन कर सकती है तथा न ही पक्का निर्माण अनुमत कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में सरकारी रोड/आम रास्ता से सटते हुए ही भूखण्ड आवंटन कर पट्टे जारी किये गये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सांखली द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
3. विवादित आवंटन आदेश में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 7 दिनांक 17.02.2009 का उल्लेख है तथा ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर नही है। इससे यह प्रकट होता है कि अकेले सरपंच ने ही समस्त कार्यवाही सम्पादित की है जो विधि विरूद्व है। राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(2) के अनुसार पट्टा/विक्रय विलेख/आवंटन आदेश सरपंच और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किये जाने आवश्यक है। यह भी स्पष्ट है कि पट्टा दिनांक 26.04. 2008 को जारी किया है जबकि पंचायत ने संकल्प दिनांक 17.02.2009 को पारित किया है। इससे सिद्व है कि सरपंच अकेले ने पूरानी तिथि (बेकडेट) में पट्टे जारी किये है या पट्टे पहले जारी किये है और प्रस्ताव उनको वैध ठहराने के लिये बाद में लिया है।
4. नियम 158(2) के अनुसार कमजोर वर्गो को आवंटन रियायती दर पर किये जाने और आवंटियो से 2, 5 या 10 रू0 प्रति वर्ग मीटर (जनगणना के आधार पर) वसूली किये जाने का प्रावधान है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में रसीद सं0 63 से मात्र 251/–रू0 वसूल किये गये है। जारी किए गए आवंटन विलेख में इस राशि का भी कोई उल्लेख नही है बल्कि रियायती दर पर आवंटन किया जाना अंकित किया गया है। उक्त राशि 251/–रू0 की गणना का कोई आधार स्पष्ट नही है। यदि उक्तानुसार न्यूनतम दर भी मानी जावें तो भी न्यूनतम 350/–रू0 जमा होने चाहिये थे। इस प्रकार पंचायत कोष को हानि पंहुचाई गई है।
5. प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव भी पट्टा जारी करने के बाद में लिया गया है। ऑडिट दल ने उक्त प्रकरण में पत्रावली का संधारण नहीं किया जाना, जांच हेतु पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाना एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 14.12.2011, विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी के पत्र दिनांक 19.12.2011 अनुसार किसी भी प्रकार की मिसले तैयार नहीं किये जाने की स्थिति सामने आने के कारण उक्त जारी किये गये भूखण्ड के पट्टो को निरस्त योग्य माना है।

उक्त तथ्य अंकित कर व्यवसाय द्वारा विधि के सुस्थापित प्रावधानों के अधीन पत्रावली पर उपलब्ध प्रत्येक तथ्यों का विश्लेषण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने के उपरांत पूर्ण सुंतष्टि होने के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध प्रत्येक तथ्य को विधि पूर्वक विश्लेषित किया जाकर आलौच्च निर्णय दिनांक 21.01.2015 पारित किया जाना प्रतीत होता हैं। इसके साथ ही जहां तक प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेक एवं संतुष्टि के उपरांत ही आदेश दिनांक 26.11.2014 पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रार्थी/गैर निगराकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की यह जाहिर होता है कि न्यायालय निर्णय दिनांक 21.01.2015 में किसी प्रकार की विधि या तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश निर्णय पारित किया गया हैं। निर्णय दिनांक 21.01.2015 में समस्त तथ्यों तात्विक तथ्यों का विधिपूर्वक परिशीलन परीक्षण किया जाना प्रतीत होता है। इसके साथ ही निर्णय दिनांक 21.01.2015 द्वारा ग्राम पंचायत सांखली को निर्देश प्रदान किये गये है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 162 में अधिकथित प्रक्रिया व नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए पात्र व्यक्तियों का चिन्हिकरण कर नियमानुसार आवंटन कार्यवाही करें एवं विक्रय विलेख निष्पादित करें। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी को निर्देश दिये गये है कि वे उपलब्ध रिक्त भूमि बाबत समुचित योजना नियम 142 एवं राज्य सरकार के परिपत्र एफ(19)एन.एस./पीसी/आर.डी. पी./92/82 दिनांक 12.07.1996 के अनुसार तैयार करावें एवं नियम 140 से 162 के तहत सुसंगत कार्यवाही ग्राम पंचायत सांखली के स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करावें। इस प्रकार प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 2 का किसी भी प्रकार से उक्त भूखण्ड पर पात्रता/अधिकारिता है कि तो ग्राम पंचायत सांखली नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है, ऐसी स्थिति में हमारा कठोर मत है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 024/2014 अनवानी विकास अधिकारी राशमी बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांखली वगैराह में निर्णय दिनांक 21.01.2015 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने से खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी राशमी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांखली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.10.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official